



12AA 305010

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)
निर्वाचन क्षेत्र से

66 इंदूर
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र.


तिलक राज बेहड़ पुत्र/पुत्री/पत्नी दिलबाज रम्य आयु 54 वर्ष
123 आवास विकास इंदूर का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ
सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों)
का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए
गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत
करेगा/करेगी):

- (I) पता/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं (0) शून्य
- (II) पुलिस थाना (थाने) (0) जिला (जिले) (0) राज्य (0) राज्य
- (III) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
(जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है (0) शून्य
- (IV) न्यायालय/जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई (0) शून्य
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था (0) शून्य
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सेकी गई है/है (0) शून्य

(Handwritten signature)



2. गुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्ध दोष प्रमाणित किया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्ध दोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं (0) शून्य
- (II) न्यायालय, जिसने दंडित किया है (0) शून्य
- (III) पुलिस थाना (थाने) शून्य (0) जिला (जिले) (0) शून्य राज्य (0) शून्य
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्था कभी आरोपित किया गया है (0) शून्य
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे (0) शून्य
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं (0) शून्य

स्थान:- रूपपुर
 तारीख:- 07-01-2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर मांगित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग गिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।
रूपपुर स्थान पर आज तारीख 07-01-2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
 पृष्ठ 15 का 6

टिप्पणी: इस प्ररूप के स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाए।

Identified on the basis of
 document presented

Narendra Kumar
 Advocate
 No. 14-K-284304, (U-6009915)

Affirmed & sworn before me by
Shri. N. Lakshay V/o. Dilip Kumar
Rudrapur Dist. USN On 7-1-12
 I certify that the affiant
 is true. Idem. Narendra Kumar
 Adv

Swami
7-1-2012
 S.S. Swami,
 Notary Public
 (U.S. Nagar, India)